पत्रांक- **AL/42/2026-SEC_2-UDHD DEPT**

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-265 दिनांक-22.02.2021 अंतर्गत व्यय की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।**

आदेशः **स्वीकृत** ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत्यादेश सं0-265 दिनांक-22.02.2021 द्वारा राज्य के नगर पंचायतों में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारी के वेतनादि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹12.00 लाख (बारह लाख रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गयी थी।

2. कतिपय कारणों से उक्त राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी ।

3. वर्णित स्थिति में स्वीकृत्यादेश सं0-265 दिनांक-22.02.2021 द्वारा आवंटित राशि ₹12.00 लाख (बारह लाख रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

51 04/06/20 सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपिः- संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई0मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 (2 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।